

किं आज्ञा
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

3/3/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी
अनुपस्थित। प्रार्थी स्वयं भी
अनुपस्थित। न्यायालय
सत्र में बार-बार आवाजें
लगवाई गईं परन्तु ना तो
वाकील/प्रार्थी स्वयं उपस्थित
हुए ना ही प्रार्थी के वकील
उपस्थित हुए। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना अदम्य एजिरी
अदम्य पेशी के बिना प्रमाण
जाला है। पत्रावली गव्हट में
रक्त लेकर वाकिल (पेश) है।